दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स : 0135-2676177
E-mail : cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

"जल भवन" बी0ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001

पत्रांकः 7329 /मु0म0प्र0/उ0ज0सं0/कार्यालय आदेश/ 2024-25 दिनांकः 10/3/25

कार्यालय–आदेश

Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित Business Reform Action Plan 2024 के अनुपालन में औद्योगिक इकाईयों के आन्तरिक व बाह्य जल स्थापना कार्य की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी द्वारा जॉच के निर्देश कार्यालय आदेश पत्रांक 4120/ मु0म0प्र0/उ0ज0सं0/कार्यालय आदेश/ 2024-25 दिनांक 10.10.2024 से पारित हैं। साथ ही थर्ड पार्टी संस्थाओं की सूची पत्रांक 6796 दिनांक 14.02.2025 से जारी है। Business Reform Action Plan 2024 में थर्ड पार्टी हेतु निम्न निर्देश भी सम्मिलित हैं, जिनका अनुपालन किया जाना है :–

Mandate qualification of third party carrying-out
the water installation works:
a. Minimum number of years of experience
b. Education qualification (for example,university degree/ diploma/ certificate in the relevant field)
c. Pass a qualification exam

अतः उक्त निर्देशों का अनुपालन हेतु थर्ड पार्टी संस्था के निरिक्षणकर्ता के लिए आर्हता इस प्रतिबन्ध के साथ, निम्नवत निर्धारित की जाती है कि यदि भविष्य में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा इस आर्हता में किसी प्रकार का संशोधन पारित किया जाता है तो तद् सीमा तक संशोधित मान्य होगा:–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि तथा सिविल अभियन्त्रण से सम्बन्धित कार्यों में 02 वर्ष का अनुभव।

अथवा

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा तथा सिविल अभियन्त्रण से सम्बन्धित कार्या में 05 वर्ष का अनुभव।

थर्ड पार्टी गुणवत्ता निरीक्षण पर होने वाले व्यय को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- निजी सचिव, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2- निजी सचिव, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, उद्योग, पटेलनगर, देहरादून।
2. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
3. सचिव (अप्रैजल/ प्रशासन) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
7. आदेश पंजिका ।

मुख्य महाप्रबन्धक